

कार्यालय
सहायक संचालक मत्स्योद्योग
के लिए मेन्युअल

वर्ष 2008—09

सूचना का अधिकार अधिनियम 2005

मेन्युअल क्रमांक 1 से 17 तक

अधिनियम की धारा 4(1) के अन्तर्गत
कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, नीमच का मेन्युअल

विवरण तालिका

क्रमांक	विवरण	पृष्ठ क्रमांक
01	संस्था उसके कार्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण	1
02	अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य	1-2
03	निर्णय प्रक्रिया में अपनाये जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जिम्मेदारी किसकी होगी।	2
04	कार्य को पूर्ण करने हेतु बनाये गये मापदण्ड	2
05	संस्था या संस्था के अधीन या कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में नियम उपनियम (विधियां) निर्देश एवं उनके द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख	2-3
06	संस्था या उसके अधीन रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण	3-4
07	ऐसी व्यवस्थाओं का विवरण जिसके अंतर्गत संस्था की नीति एवं व्यवस्था एवं विधान निर्माण में आमजन एवं जन प्रतिनिधियों की भूमिका	4
08	मण्डल समिति एवं अन्य अधिनाम बोर्ड जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो एवं उनके द्वारा दी गई सलाह बैठक का आमजनों के लिए विवरण	5
09	कार्यरत अधिकारी एवं कर्मचारी के नाम एवं फोन सूची	5
10	प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारियों को प्राप्त होने वाला मानदेय एवं नियमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली अन्य सुविधाएं	5
11	प्राप्त होने वाला बजट मदवार प्रत्येक योजना हेतु वास्तविक व्यय एवं किये गए कार्यों का विवरण	5
12	सबसीडी की व्यवस्था की जानकारी जिसमें राशि एवं हितग्राहियों की सूची	6
13	रियायत की पात्रता का विवरण ठेका (परमिट) एवं नामांकन की जानकारी	6
14	सूचना के अधिकार संबंधी बिन्दू	7
15	आम नागरिकों को सूचना प्र प्राप्त करने हेतु वर्तमान में उपलब्ध सुविधाओं का विवरण जिसमें लायब्रेरी, अध्ययनकक्ष, जिसमें कर्मचारों की भी जानकारी हो	7
16	लोक सूचना अधिकारी का नाम, पदनाम एवं अन्य विवरण	7
17	अन्य आवश्यक सूचना एवं विवरण	7

कार्यालय सहायक संचालक, मत्स्योद्योग, नीमच का मेन्युअल

बिन्दुवार जानकारी

• बिन्दू क्रमांक 1 – संस्था उसके कार्य एवं दी जाने वाली सेवाओं का विवरण

1.1 संस्था का नाम – सहायक संचालक मत्स्योद्योग, नीमच (म.प्र.)

1.2 संस्था के कार्य एवं दी जाने वाली सेवाएं –

मछली पालन ग्रामीण विकास का अभिन्न अंग है । मत्स्य पालन से रोजगार सृजन और आय वृद्धि की महती सम्भावना है। मछली पालन का उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्र में रोजगार के अवसर बढ़ाकर सभी जाति वर्ग के मछुआरों की आय में वृद्धि करना तथा सामाजिक आर्थिक स्थिति को मछली पालन के माध्यम से सुधारना है ।

मत्स्य पालन विभाग/मत्स्य कृषक विकास अभिकरण द्वारा निम्न जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं।

1. मछुआरों को मत्स्य पालन संबंधी प्रशिक्षण दिया जाना ।
2. प्रगतिशील मत्स्य पालकों को राज्य के बाहर भ्रमण पर भेजना ।
3. निःशुल्क मछुआ दुर्घटना बीमा योजना सक्रिय मछुओं का ।
4. पंजीकृत मछुआ सहकारी समितियों को ऋण/अनुदान से आर्थिक सहायता प्रदान करना ।
5. अनु.जाति/अनु.जनजाति वर्ग के मछुओं को पट्टे पर आवंटित तालाबों में मत्स्य विकास हेतु आर्थिक सहायता अनुदान ।
6. ग्रामीण/सिंचाई तालाबों को स्थानीय गरीबी रेखा में चयनित हितग्राहियों को मत्स्य पालन/उत्पादन हेतु 10 वर्षीय पट्टे पर त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से आवंटन कराया जाना ।
7. आर्थिक सहायता – हितग्राहियों को पट्टे पर आवंटित तालाबों में इन्पुट्स, तालाब सुधार, स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण, मछली सह मुर्गी पालन, सुअर पालन, बतख पालन, आदि मत्स्य बीज उत्पादन/झींगा पालन की हेंचरी स्थापित करने आदि में निर्धारित यूनिट कास्ट अनुसार बैंको से ऋण एवं शासन नियम अनुसार अनुदान प्रदाय कराया जाना ।
8. सक्रिय एवं गरीबी रेखा के अंतर्गत चयनित मछुओं को बचत सह राहत योजना से लाभान्वित किया जाना ।

• बिन्दू क्रमांक 2 – अधिकारियों एवं कर्मचारियों के अधिकार एवं कर्तव्य –

मध्यप्रदेश शासन मत्स्योद्योग विभाग द्वारा जिला स्तर पर नियंत्रण अधिकारी सहायक संचालक मत्स्योद्योग की पदस्थापना की गई है ।

विभाग में सहायक मत्स्य अधिकारी/मत्स्य निरीक्षक/कर्मचारी नियुक्त है जो कार्यपालिक श्रेणी के होकर क्षेत्र में शासन की विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का क्रियान्वयन कराते है।

लिपिकीय कर्मचारियों द्वारा विभागीय, स्थापना, लेखा वाहन, स्टोर आवक-जावक आदि शाखाओं के कार्य सम्पादित किये जाते है ।

• **बिन्दू क्रमांक 3 – निर्णय प्रक्रिया में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया जिसमें पर्यवेक्षण एवं जिम्मेदारी किसकी होगी –**

शासन द्वारा मत्स्योद्योग विभाग की निर्धारित विभिन्न जन कल्याणकारी योजनाओं का पालन सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा जिले में पदस्थ अमले के माध्यम से कराया जाता है। मत्स्य कृपक विकास अभिकरण की विभिन्न योजनाओं का अनुमोदन प्रबंध कार्यकारिणी समिति की बैठक में जिसके अध्यक्ष मुख्य कार्यपालन अधिकारी जिला पंचायत होते है, की अध्यक्षता में सहायक संचालक मत्स्योद्योग द्वारा कराया जाता है।

• **बिन्दू क्रमांक 4 – कार्य पूर्ण कराने हेतु बनाये गये मापदण्ड –**

- 1 त्रिस्तरीय पंचायतों के माध्यम से तालाब पट्टा आवंटन प्रशिक्षण हेतु हितग्राहियों का चयन मछुओं को अध्ययन भ्रमण हेतु राज्य के बाहर भेजना, मत्स्य पालन संबंधी ऋण प्रकरणों को प्रस्तुत करना आदि का निराकरण एक माह में किया जाता है।
- 2 विभागीय योजना/कार्यक्रमों में अनुदान प्रकरणों का प्रस्तुतीकरण, बीमित मछुओं का दुर्घटना बीमा निपटारा आदि के प्राप्त आवेदनों का निपटारा 15 दिवस में किया जाता है।
- 3 विभागीय जलाशयों में स्वत्व शुल्क आधार पर मत्स्याखेट हेतु प्राप्त आवेदनों का निराकरण 7 दिवस में किया जाता है।

• **बिन्दू क्रमांक 5 – संस्था या संस्था के अधीन कर्मचारियों द्वारा किये जाने वाले कार्यों के सम्बंध में नियम उपनियम (विधियां) निर्देश एवं उनके द्वारा रखे जाने वाले अभिलेख –**

जिले में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारी राज्य शासन द्वारा प्रशासकीय ढांचे के अनुरूप कार्यरत है। इनके द्वारा विभिन्न योजनाओं/कार्यक्रमों का क्रियान्वयन निर्धारित मापदण्ड अनुसार किया जाता है । कर्मचारियों द्वारा कालम नं. 5 में वर्णित कार्य किया जाता है –

क्र.	स्वीकृत पद नाम	पद सं.	पदस्थ अधिकारी / कर्मचारी का नाम	कार्य का विवरण	रिक्त पद	रिमार्क
1	2	3	4	5	6	7
1	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	01	श्री डी.डी. गंगोले	कार्यालय प्रमुख के रूप में जिले में पदस्थ समस्त अमले पर नियंत्रण एवं शासन की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु कार्यपालिका एवं प्रशासनिक व्यवस्था	01	सम्पूर्ण कार्य
2	सहायक मत्स्य अधिकारी	03	श्री पी.एन. तिवारी	कार्यालय की तकनीकी शाखा का सम्पूर्ण कार्य एवं नीमच-मानासा का सम्पूर्ण कार्य	02	नीमच मुख्यालय के सम्पूर्ण कार्य
2	मत्स्य निरीक्षक	03	श्री मनोहर सांवरिया	शासन द्वारा निर्धारित विभिन्न योजना कार्यक्रमों का क्षेत्र में क्रियान्वयन करना। (पट्टा आवंटन, ऋण प्रकरण तैयार करना, स्वयं की भूमि पर तालाब निर्माण, मछुआ सहकारी समितियों का सुदृढीकरण, दुर्घटना बीमा आदि।	02	कार्यक्षेत्र जावद
3	सहायक ग्रेड 2	01	श्री जे.डी. टटवाल	लेखा सम्बंधी कार्य, स्था. योजना, आवक-जावक कार्य, टाईपिंग कार्य आदि	-	-
4	सहायक ग्रेड 3	02	श्री नितिन गौतम	आवक-जावक एवं कोषालय सम्बंधी कार्य	01	-
5	वहन चालक	01	-	-	01	-
6	भृत्य	02	श्रीमती सांवित्री बाई सेन	कार्यालय की देख-रेख एवं डाक वितरण	01	-
7	चैकीदार	02	हरदास टीमर	मोरवन जलाशय हेतु	01	-
8	म. जमादार	02	-	-	02	-

- बिन्दू क्रमांक 6 - संस्था या उसके अधीन रखे जाने वाले दस्तावेजों की श्रेणी का विवरण

विभागीय दस्तावेजों का विवरण निम्नानुसार है -

- 1 रोकड़ बही
- 2 आकस्मिक व्यय पंजी

- 3 आय-व्यय पंजी
- 4 मछुआ दुर्घटना बीमा संबंधी रजिस्टर
- 5 मछुआ प्रशिक्षण संबंधी रजिस्टर
- 6 आदेश पंजी
- 7 आवक-जावक पंजी
- 8 कर्मचारी उपस्थिति पंजी
- 9 अवकाश सम्बंधी पंजी
- 10 मछुओं के ऋण/अनुदान सम्बंधी पंजी
- 11 बैंक/पोस्ट ऑफिस जमा राशि की पंजी
- 12 चेक रजिस्टर
- 13 वाहन पीओएल रिपेरिंग आदि की पंजी
- 14 अन्य आवश्यक दस्तावेज।

- बिन्दू क्रमांक 7 – ऐसी व्यवस्थाओं का विवरण जिसके अंतर्गत संस्था की निति एवं व्यवस्था एवं विधान निर्माण में आमजन एवं जनप्रतिनिधियों की भूमिका –

मत्स्योद्योग विभाग शासन द्वारा दिये गये निति/निर्देशों के परिपालन तथा मत्स्य कृपक विकास अभिकरण में प्रबंधकारिणी समिति द्वारा पारित आदेशों के तहत कार्यो का संचालन किया जाता है।

- बिन्दू क्रमांक 8 – मण्डल समिति एवं अधिनाम बोर्ड जिसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हो एवं उनके द्वारा दी गई सलाह बैठक का आयोजनो के लिये विवरण –

जिले में मत्स्य कृपक विकास अभिकरण की स्थापना नहीं है। मत्स्य कृपक विकास अभिकरण की योजनाओं के क्रियान्वयन हेतु सेल के रूप में कार्य किया जाता है। मण्डल समिति की बैठक की कार्यवाही नहीं की जाती है।

- बिन्दू क्रमांक 9 – कार्यरत अधिकारियों एवं कर्मचारियों के नाम व फोन सूची –

क्र.	नाम	पद	फोन नं.
01	श्री डी.डी.गंगेले	सहायक संचालक मत्स्योद्योग	9993936884
02	श्री पी.एन. तिवारी	सहा.मत्स्य अधिकारी	9406867184
03	श्री मनोहर सांवरिया	मत्स्य निरीक्षक	9179827664
04	श्री जगदीश टटवाल	सहायक ग्रेड – 2	–
05	श्री नितिन गौतम	सहायक ग्रेड – 3	9752046707
06	श्रीमती सांवित्री बाई सेन	भृत्य	–

- बिन्दू क्रमांक 10 – प्रत्येक अधिकारी एवं कर्मचारी को प्राप्त होने वाला मानदेय एवं नियमों के अंतर्गत प्राप्त होने वाली सुविधाये –

जिले में पदस्थ अधिकारी/कर्मचारियों को शासन द्वारा निर्धारित वेतन भत्तों आदि का नियमानुसार भुगतान किया जाता है।

क्र.	अधिकारी एवं कर्मचारी का नाम	मूल वेतन
1	2	3
01	श्री डी.डी.गंगेले	8000.00
02	श्री पी.एन. तिवारी	6750.00
03	श्री श्री मनोहर सांवरिया	4800.00
04	श्री जगदीश टटवाल	5000.00
05	श्री नितिन गौतम	3050.00
06	श्रीमती सांवित्री बाई सेन	2840.00
07	श्री हरदास टीमर	3200.00

- बिन्दू क्रमांक 11 – प्राप्त होने वाला बजट मदवार, प्रत्येक योजना हेतु वास्तविक व्यय एवं कार्यों का विवरण –

विभागीय अमले के स्थापना व्यय वेतन भत्ते आदि हेतु शासन द्वारा बजट आवंटन प्रदत्त किया जाता है। शासन की विभिन्न योजनाओं हेतु जिला योजना मण्डल द्वारा प्रस्तावित बजट प्रावधान अनुसार बजट आवंटन प्रदाय किया जाता है। वर्ष 2008-09 हेतु विभिन्न योजनाओं में (केन्द्रांश एवं राज्यांश) निम्न अनुसार बजट प्रावधान किया गया है।

क्र.	योजना का नाम	मद का नाम	टावंटित राशि	व्यय राशि माह नवम्बर 08 तक
1	2	3	4	5
01	मत्स्य पालन प्रसार	15 52	0.15 लाख 0.15 लाख	— —
02	मत्स्य बीज उत्पादन	16 (3314)	1.25 लाख	0.719
03	जलाशयों में मत्स्योद्योग का विकास	16 (1451)	0.75 लाख	0.113
04	बचत सह राहत योजना	16 16	2.344 लाख 0.07 लाख	2.344 —
05	जन श्री योजना	64	0.01 लाख	—
06	मछुओं को प्रशिक्षण	15 80 52	0.05 लाख 0.20 लाख 0.05 लाख	0.05 0.20 0.05
07	मछुआ सहकारिता			
	(अ) ऋण	80	—	—

	(ब) अनुदान	15	0.20 लाख	—
		80	0.50 लाख	—
		52	0.10 लाख	—
08	मत्स्य कृषक विकास अभिकरण कार्य हेतु	80	2.40 लाख	0.144
		15	0.80 लाख	—
		52	0.80 लाख	—
09	प्रशिक्षण	80	0.32 लाख	—
	योग		10.14 लाख	3.62

उक्त योजनाओं में व्यय लक्ष्य अनुसार किया जावेगा ।

• **बिन्दू क्रमांक 12 एवं 13 – सबसिडी की व्यवस्था की जानकारी जिसमें राशि एवं हितग्राहियों की सूची –**

शासन द्वारा विभिन्न योजनाओं में वर्गवार सबसिडी की जानकारी निम्नानुसार है –

		सामान्य वर्ग	अनु.जा./अ.ज.जा.
(1)	पोण्ड कल्चर योजना – बैंकों द्वारा स्वीकृत ऋण पर	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत
(2)	स्वयं की भूमि में तालाब निर्माण — रु. 2 लाख प्रति हे. पर	20 प्रतिशत	25 प्रतिशत

चालू वर्ष में प्रकरण तैयार किये जाकर बैंकों को प्रस्तुत किये जावेंगे ऋण स्वीकृति अनुसार सबसिडी प्रदाय की जावेगी ।

• **बिन्दू क्रमांक 14 एवं 15 – सूचना के अधिकार संबंधी बिन्दु**

शासन द्वारा मत्स्योद्योग विभाग में सूचना के अधिकार संबंधी निम्नानुसार बिन्दु निर्धारित किये हैं –

क्र.	विवरण (प्रतिलिपियां)	दरे (रु.)
01	ग्रामीण/सिंचाई तालाब के रजिस्टर/फाईल की प्रतिलिपि	ए-4 साईज एक प्रति एक ओर रु. 2.00
02	पंजीकृत मछुआ सहकारी -----,,-----	ए-3 साईज की एक प्रति एक ओर 3.00 रुपये
03	अभिलेखों का <u>निरीक्षण/अवलोकन</u> उक्त अनुसार रिकार्ड का अवलोकन किया जाने पर	रुपये 10.00 न्यूनतम शुल्क

दस्तावेज प्रदाय/अवलोकनार्थ कार्यालयीन समय में प्रत्येक माह के द्वितीय एवं चतुर्थ सोमवार का दिन निर्धारित किया गया है।

• **बिन्दू क्रमांक 16 – लोक सूचना अधिकारी –**

श्री डी.डी.गंगोले

—

सहायक संचालक मत्स्योद्योग

• बिन्दू क्रमांक 17 – अन्य आवश्यक सूचनाये एवं विवरण –

- बचत सह राहत योजना – गरीबी रेखा में चयनित पात्र हितग्राहियों द्वारा 9 माह में बचत राशि के समतुल्य अनुदान राशि प्रदाय की जाती है।
- मछुआ आवास योजना – पंजीकृत मछुआ सहकारी समिति के सदस्यों को स्वयं आवास निर्मित हेतु रूपये 40000.00 प्रति मछुआ के मान से आर्थिक सहायता प्रदान की जाती है।
- जनश्री योजना – अभी संचालक से बजट प्राप्त नहीं हुआ है, योजनाओं के फोल्डर संस्था को भेज दिए हैं। प्रत्येक सदस्य से रू. 50/- प्राप्त कर आवेदन भराकर शेष 50 प्रतिशत राशि विभाग से प्राप्त कर बीमा कम्पनी को भेजी जावेगी।

सहायक संचालक
मत्स्योद्योग, जिला-नीमच